3806(E)
8/6/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 08.06.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Old alignment of Purnea-Katihar Road (NH-131A) from (1) Lelha Chowk to IOCL Petrol Pump (Ch. 62.11 Km. to 63.011 Km.) & (ii) Dalan Chowk to Kushwaha Chowk (Ch. 47.35 Km. to 60.45 Km.) (Total Length-14.00 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री अनिल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–19.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–881 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–946(अनु०) दिनांक–29.05.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–29.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of Old alignment of Purnea-Katihar Road (NH-131A) from (1) Lelha Chowk to IOCL Petrol Pump (Ch. 62.11 Km. to 63.011 Km.) & (ii) Dalan Chowk to Kushwaha Chowk (Ch. 47.35 Km. to 60.45 Km.) (Total Length-14.00 Km.) for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, कटिहार।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹5566.53 लाख। विभागीय ज्ञापांक–6358(एस०) दिनांक–17.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹5620.09 लाख। मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1260(अनु०) दिनांक–12.09.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹5251.62495 लाख।

2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 (Eighteen) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	12.03.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा है। विषयाधीन कार्य के लिए पूर्व में आमंत्रित निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक–1300 दिनांक–25.09.2025 से रद्द किया गया है।

3. विषयांकित पुनर्निविदा में निम्नलिखित 06 (छः) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Aastha & Saumya Construction
(2) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd.
(3) M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd.
(4) Umakant Singh
(5) Shristi Developers Pvt. Ltd.
(6) Maa Kamakhya Traders

4. पथ प्रमंडल कटिहार अन्तर्गत Widening and Strengthening of Old alignment of Purnea-Katihar Road (NH-131A) from (i) Lelha Chowk to IOCL Petrol Pump (Ch. 62.11 Km to 63.011 Km) & (ii) Dalan Chowk to Kushwaha Chowk (Ch. 47.35 Km to 60.45 Km) (Total Length- 14.00 Km) for the year 2025-26 के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड का मूल्यांकन दिनांक–19.05.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी जिसकी कार्यवाही, उपभागीय ज्ञापांक–881 दिनांक–21.05.2026 से संसूचित है, में 05 (पाँच) निविदाकार यथा (1) Aastha & Saumya Construction (2) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. (3) M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (4) Umakant Singh एवं (5) Maa Kamakhya Traders को SBD आधारित निविदा की वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड मे असफल घोषित करने तथा शेष 01 (एक) निविदाकार यथा Shristi Developers Pvt. Ltd. को SBD आधारित पुनर्निविदा की सभी वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया था। उपभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही दिनांक–21.05.2026 को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड किया गया है।

उक्त के आलोक में निविदाकार M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा E-mail के माध्यम से दिनांक–24.05.2026 को उपभागीय कार्यालय में दो परिवाद समर्पित किया गया है।

5. उपभागीय ज्ञापांक–881 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–19.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा e-mail के माध्यम से पत्रांक–शून्य दिनांक–24.05.2026 को परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–946 दिनांक–29.05.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–29.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

परिवाद/आपत्ति की समीक्षा :–

क्र० सं०	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
01	हमारी संस्था द्वारा Litigation History में वर्ष 2024 से संबंधित प्रकरण का विधिवत उल्लेख किया गया था। इससे स्पष्ट है कि हमारी ओर से किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने अथवा तथ्यों के दमन (Supervision of Facts) की कोई मंशा नहीं थी। जिस प्रकरण का उल्लेख नहीं हो पाया वह वर्ष 2017 का मामला था, जिसका निस्तारण (Disposed) वर्ष 2023 में ही हो चुका है। उक्त मामला वर्तमान में लंबित नहीं है तथा उससे संबंधित कोई प्रतिबंध Blacklisting अथवा वित्तीय दायित्व वर्त्तमान में प्रभावी नहीं है। उक्त मामले का उल्लेख Bonafide misunderstanding/clause interpretation के कारण नहीं हो सका। यह भी निवेदन है कि Clause 4.3(j) का उद्देश्य मुख्यतः Litigation Information Disclosure सुनिश्चित करना है तथा निविदा शर्तों में केवल Litigation होने मात्र से Disqualification का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, विशेषकर तब जबकि मामला पूर्णतः निस्तारित हो चुका है। महोदय आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट कराना है कि विभाग द्वारा दिनांक–22.05.2026 को सायंकाल निविदा से संबंधित सूचना बेवसाईट पर अपलोड की गई, परन्तु उसे दिनांक–21.05.2026 से दर्शाया गया है। जबकि विभागीय प्रतिक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज कराने	निविदाकार से प्राप्त आपत्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि निविदाकार M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा एक मामले में विभाग के विरूद्ध CWJC No.-18488/2015 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–03.02.2016 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA-230 of 2017 दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त LPA को वर्ष 2023 में Disposed off कर दिया गया है। अतः निविदाकार की आपत्ति को मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	हेतु केवल 2 दिनों का समय प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में संवेदक को प्रभावी रुप से मात्र 01 दिन का ही समय उपलब्ध हो पाया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरुप पर्याप्त अवसर नहीं माना जा सकता है। अतः महाशय से आग्रह है कि इस बिन्दु पर भी आपके स्तर से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है।		
02	Litigation History संबंधी तथ्य छिपाना निविदा दस्तावेजों के अनुसार पिछले 05 वित्तीय वर्षों की Litigation History देना अनिवार्य था। परन्तु M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा Nil Declaration दिया गया है, जबकि उनके विरुद्ध CWJC No.-4833/2021 लंबित / विद्यमान रहा है। सामान्य प्रकृति के मामले में हमारी फर्म को अयोग्य घोषित किया गया, जबकि उक्त फर्म को सफल घोषित किया जाना समानता एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।	परिवादी द्वारा वर्णित वाद से संबंधित निविदाकार M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा वाद सं०–CWJC No.-4833 of 2021 दायर करने के बाद Withdraw कर लिया गया था। जिसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–13.11.2024 को वाद Dispose off किया जा चुका है। अतः परिवादी का परिवाद अमान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
03	Credit Facility Certificate में तिथि का अभाव उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत Credit Facility Bank Certificate में निर्गमन की तिथि एवं वर्ष अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र की वैधता एवं प्राथमिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है।	M/s Shristi Developers Pvt. Ltd द्वारा अपलोड Credit Facility Certificate SBD के Section 2 में प्रावधानित Format के अनुरुप है। अतः परिवादी का परिवाद अमान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
04	Power of Attorney एवं Board Resolution में त्रुटि M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा 1,000/– के Stamp Paper पर "Power of Attorney for Signing of Bid" दिनांक–12.03.2026 को नोटराइज कराया	M/s Shristi Developers Pvt. Ltd द्वारा Uploaded PoA में Authority के रुप में Mr. Santosh Kumar, S/O-Late. Ram Prit Singh का नाम स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा निविदाकार	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	गया है। उक्त दस्तावेज में Name of Authority का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही Company Bylaws के अनुसार किसी व्यक्ति को निविदा संबंधी कार्य हेतु अधिकृत करने के लिए Company Directors द्वारा Board Resolution पारित किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु ऐसा कोई Board Resolution संलग्न नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होतो है कि उनके द्वारा प्रस्तुत Power of Attorney उक्त निविदा हेतु विधिसम्मत् एवं वैद्य नहीं है।	द्वारा वैध Board Resolution की प्रति भी अपलोड की गयी है। अतः परिवादी का परिवाद अमान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।	

6. <u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-</u>

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक– 19.05.2026 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए विषयगत पुनर्निविदा में शामिल 6 (छः) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकारों यथा (1) Aastha & Saumya Construction (2) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. (3) Umakant Singh एवं (4) Maa Kamakhya Traders को असफल एवं शेष 02 (दो) निविदाकारों यथा (1) M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (2) M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. को सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती हैं।

७ण शाखा
08/6/26

7. <u>परिवाद समिति का निर्णय</u> :–

(i) विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार **Topline Infra Projects Pvt. Ltd.** द्वारा e-mail के माध्यम से पत्रांक–शून्य दिनांक–24.05.2026 द्वारा दिए गए परिवाद / आपत्ति को मान्य किया जाता है।

(ii) चार निविदाकार यथा (1) **Aastha & Saumya Construction** को विभागीय पत्रांक–7930(ई०) दिनांक–26.11.2025, **SBD** के **ITB-Cl. 4.7** तथा **SBD** के **Qualification Information** की कंडिका–1.4(A) के तहत् (2) **Maa Kamakhya Traders** को **SBD** के **ITB Clause 4.5(A)(c), 4.3(c)**, विभागीय पत्रांक–7930(ई०) दिनांक–26.11.2025 एवं **SBD** के **ITB-Cl. 4.7** तथा **Qualification Information** के कंडिका–1.4(A) के तहत् (3) **Umakant Singh** को **SBD** के **ITB Clause 4.5(A)(c), 4.3(c)** एवं विभागीय पत्रांक–7930(ई०) दिनांक–26.11.2025 एवं **SBD** के **ITB-Cl. 4.7** तथा **Qualification Information** के कंडिका–1.4(A) के तहत् एवं (4) **M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd.** को **NIT** की कंडिका–22 के तहत् तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता हैं।

(iii) शेष दो निविदाकारों यथा (1) **M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd.** एवं (2) **M/s Shristi Developers Pvt. Ltd.** को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–881 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–19.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

7.2 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

08/06/26 08/6/26 08/06/26 08/06/26

(सुनील कुमार सुमन)	(राजेश कुमार गुप्ता)	(अनिल कुमार सिंह)	(उमा कान्त रजक)
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7 / निविदा–03–36 / 2026 3806(E) पटना, दिनांक 8/6/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।